न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00132 RAAJodhpur2018-52RTA223 Ranidansingh Vs Khetsingh etc

राणीदान सिंह पुत्र श्री नगसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम बेंगटी कल्ला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. खेतसिंह पुत्र नगसिंह
2. शम्भूसिंह पुत्र बगतावरसिंह
3. रेंवतसिंह पुत्र वगतावरसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- बैंगटी कल्ला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 15 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 169/2017 खेतसिंह व अन्य बनाम राणीदान सिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 04

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसंबर 2022

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 169/2017 खेतसिंह व अन्य बनाम राणीदान इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 मई 2018 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद बंटवाड़ा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 141 रकबा 91 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 190 रकबा 122 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 71 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा ग्राम बैंगटी कल्ला तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मई 2018 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2018 को गलत तथ्यों के आधार विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एवं सभी हितबद्ध खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी राणीदानसिंह को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा न ही कैम्प कोर्ट की कोई सूचना दी गई और जवाब पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया और दावे में तनकीयात भी कायम नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई तथा समस्त प्रक्रिया विधि विरुद्ध प्राकृतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्याय के सिद्धांतो के विपरीत अपनाकर एकतरफा कार्यवाही करते हुए मैरिट पर कोई निर्णय नहीं किया और प्राथमिक डिक्री में नियम 18 से 21 की पालना करने के निर्देश दिये गये एवं वादी की ओर से जो नजरी नक्शा पेश किया, उसको आधार मानकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करने में भारी भूल की है। प्रस्तुत नजरी नक्शा मौके के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी का कब्जा काश्त है, उस जगह को नक्शा में नहीं दर्शाया गया है अर्थात अपनी मनमर्जी से नजरी नक्शा बनाकर पेश किया गया जो वास्तविक स्थिति के विपरीत है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण राजस्व रेकर्ड का परीक्षण किये बिना ही फोर्लोवर कैम्प में खाना पूर्ति करते हुए मुकदमे निस्तारण की संख्या का टारगेट पुरा करने के उद्धेश्य से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे अपीलांट अपने हक व अधिकारों से वांछित हो गया है तथा उनके हक व हिस्से की पुश्तैनी भूमि में जिसका रेकर्डेड खातेदार है, जिसकी सहमति के बिना एवं खातेदार की अनुपस्थिति में सारी कार्यवाही कर वाद का निस्तारण कर दिया, जबकि अपीलांट की कोई सहमति इस बंटवाड़े में नहीं है एवं अपीलांट को अपना जवाब एवं अपना पक्ष रखने का, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में विधि विरुद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया गया जो अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीला अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 15.05.2018 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जावे, ताकि पक्षकारों को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जा सके।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 07.03.2018 को प्रतिवादी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम चाण्डा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली मे प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 15.05.2018 की पेशी नियत किया जाना पाया जाता है। उक्त नियत पेशी दिनांक 15.05.2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र बैंगटी कल्ला में रखा जाकर दोनो पक्षकारान् की सहमति दर्शाते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखे जाने की सूचना अपीलांट्स को दिये जाने बाबत नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत दावे में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी का जवाब लिये बिना ,तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना केवल पक्षकारान् की सहमति दर्शाकर प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। सहमति स्वरूप पत्रावली पर पक्षकारान् अथवा उनके अधिवक्तागण के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत वादीगण का दावा स्वीकार किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 169/2017 खेतसिंह व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम राणीदान इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के बजाय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 को मद्देनजर रखते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.12.2022

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर